न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी0 सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
156/प्रा.पत्र/2024	04.03.2024	29.05.2024

राजेन्द्र मालव उम्र 52 वर्ष पुत्र मथुरा लाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
वकील प्रार्थीया :– श्री नन्दसिंह सौलंकी
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेश किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 355 पुराना 336 खसरा संख्या 1341/1212 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतापुरा पटवार हल्का अल्फानगर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम राजेन्द्र मालव की जगह घर का बोलता नाम रामगोपाल गलत दर्ज हो रहा है क्योंकि फौती इन्तकाल खोलते समय किसी के द्वारा प्रार्थी का बोलता नाम रामगोपाल लिखवा दिया गया जो कि आज तक राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है जिसको दुरुस्त करवाया जाना प्रार्थी के हक मे अतिआवश्यक व जरुरी है क्योंकि प्रार्थी का नाम किसी भी पहचान के दस्तावेज में रामगोपाल अंकित नही हो रहा है। सभी पहचान के दस्तावेजात आदि मे प्रार्थी का नाम राजेन्द्र मालव ही दर्ज हो रहा है। इस कारण से वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकित नाम रामगोपाल को सही करवाना प्रार्थी के लिए अति आवश्यक एंव जरुरी हो गया है ताकि आगे प्रार्थी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह कि प्रार्थी के पहचान दस्तावेज नरेगा जोबकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि सभी पहचान पत्र व दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम राजेन्द्र मालव अंकित है। प्रार्थी के द्वारा अनेकों बार राजस्व रिकार्ड मे अंकित नाम विलोपित करने हेतु कई बार हल्का पटवारी अल्फानगर से मौखिक रुप से निवेदन किया गया जिस पर हल्का पटवारी जी के द्वारा प्रार्थी से उसकी पहचान बाबत आवश्यक समस्त दस्तावेजात की फोटो प्रतियां प्राप्त कर ली है। हल्का पटवारी अल्फानगर ने प्रार्थी को शिविर प्रशासन गांव के संग आने पर प्रार्थी का नाम दुरुस्त कर देने का आश्वासन देकर प्रार्थी के साथ टालमटोल की जा रही है लेकिन कई शिविर निकल गये प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्त नही किया गया है। यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी माननीय न्यायालय से इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री प्राप्त कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भुमिं के राजस्व रिकार्ड मे अंकित अपने नाम रामगोपाल को दुरुस्त करवाकर उसकी जगह सही एंव वास्तविक नाम पहचान के दस्तावेज के आधार पर राजेन्द्र मालव दर्ज करावें। राजस्व रिकार्ड मे उक्त प्रकार का संशोधन होना प्रार्थी के हित मे अति आवश्यक है क्योकि उक्त राजस्व रिकार्ड की गलती की वजह से प्रार्थी को काफी परेशानियों एंव दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एंव प्रार्थी को अपनी खाते की भूमि पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा है जिससे प्रार्थी को शारीरिक व मानसिक

ताप लगातार पहुच रहा है तथा अपरिमित क्षति हो रही है। प्रार्थी ने अन्तिम रूप से दिनांक 15-02-2024 को अप्रार्थी के कार्यालय मे गया और प्रार्थी ने अप्रार्थी से मौखिक रूप से राजस्व रिकार्ड मे अंकित अपने नाम को राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त (शुद्धीकरण) करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त करने के लिए मना कर दिया। यही वाद कारण है जो निरन्तर जारी है। अप्रार्थी को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम सीतापुरा पटवार मण्डल अल्फानगर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के अशुद्ध व गलत नाम रामगोपाल को हटाकर विलोपित फरमाकर प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजात व अन्य दस्तावेज आदि के आधार पर सही एंव वास्तविक नाम राजेन्द्र मालव राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करें ताकि प्रार्थी को आगे भविष्य मे किसी प्रकार की असुविधा व परेशानी पैदा न हो।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1620 दिनांक 07.05.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मजमे आम में उपस्थित ग्रामवासियान से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रार्थी राजेन्द्र पुत्र मथुरालाल मालव व राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार रामगोपाल पुत्र मथुरा एक ही व्यक्ति है। इस नाम का ग्राम सीतापुरा में अन्य कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी के पहचान दस्तावेज आधार कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासबुक, राशनकार्ड आदि सभी सभी पहचान पत्र व दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र मथुरालाल अंकित है।

बहस उभयपक्ष सूनी गई

वकीलवादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम राजेन्द्र मालव की जगह घर का बोलता नाम रामगोपाल गलत दर्ज हो रहा है क्योंकि फौती इन्तकाल खोलते समय किसी के द्वारा प्रार्थी का बोलता नाम रामगोपाल लिखवा दिया गया जो कि आज तक राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है जिसको दुरूस्त करवाया जाना प्रार्थी के हक मे अतिआवश्यक व जरूरी है क्योंकि प्रार्थी का नाम किसी भी पहचान के दस्तावेज में रामगोपाल अंकित नही हो रहा है। सभी पहचान के दस्तावेजात आदि मे प्रार्थी का नाम राजेन्द्र मालव ही दर्ज हो रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में सही नाम राजेन्द्र मालव अंकित करने के आदेश प्रदान किये जावें।

पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार करते हुए रामगोपाल के स्थान पर राजेन्द्र मालव उर्फ रामगोपाल आ0 मथुरा अंकित करते हुए प्रा0पत्र में अंकित तथ्यो को सही होना स्वीकार किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से यह प्रमाणित होता है कि रामगोपाल आ0 मथुरा एवं राजेन्द्र मालव आ0 मथुरा ग्राम सीतापुरा में दो अलग अलग व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति राजेन्द्र मालव आ0 मथुरा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी में स्थित कृषि भुमि खाता संख्या नया 355 पुराना 336 खसरा संख्या 1341/1212 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतापुरा पटवार हल्का अल्फानगर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में दस्तावेजो एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा के आधार पर जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर दर्ज रामगोपाल आ0 मथुरा के स्थान पर राजेन्द्र मालव उर्फ रामगोपाल आ0 मथुरा नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी.सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा